

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**अधिसूचना**

रोक्ती

दिनांक :- 23-7-12

अधि.सं.-01 / स्थाना. / पद.-11-04/2011 **3551**, दिनांक 28.06.2012 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता(असैनिक) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ-04 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम/आई.डी./ जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री विनय कुमार सिन्हा 1769 / 01.01.57 / पटना	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) मानव संसाधन विकास विभाग	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) के रूप में सेवा ग्रामीण विकास विभाग को	मानव संसाधन विभाग विभाग से सेवा वापस लेते हुए
2.	श्री अमरनाथ सिंह 1743 / 25.12.52 / बेगुसराय	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	
3.	श्री रामनिवास प्रसाद(अ.ज. जा.) / 4428 / 04.05.69 / पू.चम्पारण	सचिव (प्रावै.) मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना चार्डिल कम्पलेक्स जमशेदपुर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) बराज अंचल, गालूडीह	
4.	श्री सुधीर कुजूर(अ.ज.जा.) 4437 / 01.07.65 / रामगढ़	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, जमशेदपुर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर(श्री रिपुसूदन प्रसाद के दिनांक 31.07. 12 को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रभावी)	
5.	श्री सोहन सेठ(अ.जा.) 3874 / 10.05.63 / रोक्ती	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल, हजारीबाग	
6.	श्री चन्द्र भूषण सिन्हा 1681 / 19.11.55 / भोजपुर	संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, रोक्ती	सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रोक्ती	
7.	श्री सत्येन्द्र पाराशर 1719 / 21.09.53 / रोक्ती	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-01, रोक्ती	सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर	
8.	श्री सुबोध कुमार सिन्हा 1777 / 24.01.54 / संथालपरगना	सचिव (प्रावैधिक) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई रोक्ती	संयुक्त सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग, रोक्ती	
9.	श्री शिवलाल राम(अ.जा.) 3862 / 10.11.62 / वैशाली	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई अंचल, चाईबासा	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) जलपथ अंचल, गुमला	
10.	श्री दीपक कुमार सिन्हा 1738 / 02.09.54 / पटना	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, रोक्ती	तरफ पर प्रौद्योगिकी विभाग में जलने वाला एवं जल वर्ती अधिकार प्रभार में दे रहें।

1	2	3	4	5
11	श्री विश्वनाथ बोईपोई (अ.ज.जा.) / 4446 / पू.सिंहमूमि / 01.11.69	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) जलपथ अंचल, गढ़वा	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) खरकई बौद्ध अंचल, ईचा चालियामा	
12	श्री शिवशंकर माहेश्वरी 1704 / मुंगेर / 23.05.54	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) खरकई बौद्ध अंचल, ईचा चालियामा	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) के रूप में विभागीय मुख्यालय में योगदान देंगे।	

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

*Dheef* 3.7.12  
( दिनेश उपाध्याय )  
सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 355। रोक्ती, दिनांक :- 23-7-12

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रोक्ती को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुसोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियों कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

*Dheef* 3.7.12  
( दिनेश उपाध्याय )  
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 355। रोक्ती, दिनांक :- 23-7-12

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रोक्ती / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रोक्ती / माननीय उप मुख्यमंत्री(जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रोक्ती / सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रोक्ती / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रोक्ती / सचिव, सवास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रोक्ती / प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रोक्ती / सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रोक्ती / प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रोक्ती / प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रोक्ती / अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रोक्ती / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रोक्ती / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / सभी संबंधित पदाधिकारी / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रोक्ती / प्रशास्त्रा पदाधिकारी, प्रशास्त्रा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वा., 7यो., एवं 8ए., 8वी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर वे स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारियों (क्रमांक-12 छोड़कर) के माह अगस्त 2012 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध हीं करेंगे।

*Dheef* 3.7.12  
( दिनेश उपाध्याय )  
सरकार के उप सचिव (प्र.)